Saarth
E-Journal of Research

ISSN NO: 2395-339X

बाल श्रम एक अध्ययन

डॉ. कल्पना निरंजन
एसोसिएट प्रॉफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
आर्यकन्या पी.जी. कॉलेज, झाँसी

बच्चे देश का भविष्य होते हैं यदि ये शिक्षित और स्वस्थय होंगे तो देश उन्नति और प्रगति करेगा। खुशहाली और तरक्की समाज के कदम चूमेगी और विकास के नए रास्ते खुदबखुद प्रशस्त होते जायेंगे। आज रोबोटिक्स की वजह से परिश्चिमी देशों में डर की लहर दौड़ रही है, वे घबराए हुए हैं क्योंकि उनकी आबादी की औसत उम्र अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ चली है। जापान जैसे देशों को डर है कि युवा पीढ़ी के अभाव में कहीं सारे कामो के लिए रोबोट ना रखने पड़ जाए। ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन देशों के पास युवा शक्ति है जिसमें खर्च करने का उत्साह भी है और कमाने की ऊर्जा भी है। ये दोनों ही बातें किसी भी स्वस्थ्य अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है, यही कारण है कि आज ज्यादातर परिश्चिमी देश भारत में उद्योग भी लगाना चाहते हैं और सामान बेचना भी चाहते हैं।

लेकिन अगर देश के बच्चे बचपन से ही किताबों को छोड़कर कल–कारखानों में काम करने लगेंगे तो हमारे देश में किस प्रकार के युवा पाए जायेंगे। यकीनन वो दिशाहीन युवा होंगे जिनके करियर –स्वप्न छोटे होंगे और रोजगार परक शिक्षा एवं शिक्षा के आभाव में बेरोजगार युवाओं की एक पूरी फौज तैयार हो जायेगी। देश समाज का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के सताए ये लाग सिविल वॉर जैसी किसी स्थिति का निर्माण कर दें या फिर देश में क्राइम रेट इस कदर बढ़ जाए की लोगों का जीना दूभर हो जाए।

शायद भारत को इस कड़वी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, देश में आज भी करोड़ों बच्चे स्कूलों की बजाए कल–कारखानों, ढाबों और खतरनाक कहे जाने वाले उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। जहाँ दो दिन की कमाई में मिलती है दो वक्त की रोटी और अध्यापक की मीठी डांट की जगह सामना करना होता है सुपरवाइजर के चाबुक का। सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में बच्चे पढ़ना–लिखना छोड़कर काम करने को मजबूर हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार लगभग 5 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। इन बालश्रमिकों में से 19 प्रतिशत के लगभग घरेलू नौकर हैं।

ग्रामीण असंगठित क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र में तो स्थिति और भी ज्यादा दयनीय है। यहाँ से लगभग 80 प्रतिशत बच्चे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बाल श्रम से जुड़े हुए हैं। बाल श्रम का एक घृणित चेहरा महानगरों में देखा जा सकता है, जहाँ बच्चे मानव तस्करी का भी शिकार हो रहे हैं। यहाँ बच्चों से अभिभावक ही बहुत थोड़े पैसों में उनको ऐसे ठेकेदारों के हाथ बेच देते हैं, बाद में इन बच्चों को एक अघोषित एम्प्लोयेमेंट एक्सचेंज में भेजा जाता है, इस यात्रा का अगला पड़ाव होता है अमीरों की कोठियां, हाईवे के ढाबे, कारखाने यहाँ तक सड़कों पर भिक्षावृति भी।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

यदि गौर किया जाए तो हम पाते हैं कि पटाखे बनाना, कालीन बुनना, वेल्डिग करना, ताले बनाना, पीतल उद्योग में काम करना, कांच उद्योग, हीरा उद्योग, माचिस उद्योग, बीड़ी उद्योग, कोयले की खान, पत्थर की खदान, सीमेंट उद्योग और दवा उद्योग जैसे संगठित क्षेत्र भी बाल श्रमिको का शोषण कर रहे हैं। गरीबी की मार से त्रस्त इन बच्चों के माँ बाप कभी महसूस ही नहीं कर पाते कि उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के मूल अधिकार तक से वचिंत कर दिया है। ये अधिकार छिनने का एक नतीजा ये भी होता है कि बच्चा कभी भी अपने जीवन को सुधार ही नहीं पाता। बाल श्रम उसे कोल्हू का बैल बनाना और उसकी सारी जिन्दगी रोटी के इर्दगिर्द आधी अधूरी शिक्षा क विक्टिम के रूप में बीत जाती है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली बाल श्रमिक तो वो है जिनके हिस्से में कूड़ा बीनना, पोलीथीन की गंदी थैलियां चुनना और छोटे मोटे अपराधों में सहायता करने जैसे निकृष्ट कार्य आते हैं। बाल श्रमिकों को अक्सर तस्करी आदि कार्यों में भी लगा दिया जाता है। मादक द्रव्यों की तस्करी में व अन्य ऐसे ही कार्यों में इनको संलिप्त कर इनकी विवशता का लाभ उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त अमीरों की यौन कुंठा को संतुष्ट करने के लिए कई बार बच्चों को मुस्लिम देशों में बेच देने की घटनाएं भी होती हैं। एक आंकड़े के अनुसार ऐसे बाल श्रमिको के संगठित अपराध जगत से जुड़ने की घटनाए आम हैं।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (World Day Against Child Labour) की प्रासंगिकता

हर वर्ष 12 जून का दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने इसकी शुरूआत 19 साल पहले की थी, ILO का उद्देश्य है उस वातावरण का निमार्ण जहाँ बच्चों से मजदूरी ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने की पहल की जाए और बाल श्रम के खिलाफ दुनिया में जागरुकता अभियान चलाए जाएँ। इस संस्था द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में 16 करोड़ बच्चे बाल श्रम की चपेट में हैं, ये आंकड़े उन जानलेवा खतरों की तरफ भी इशारा करते हैं जो महामारी की वजह से दुनिया में फैले हैं। ऐसा नहीं है कि ILO समकक्ष कोई भी संस्था भारत में नहीं है, ILO के समकालीन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन (केएस सीएफ) भी है जो भारत में काम करती है। इस संस्था ने बाल मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए विशेष नीति बनाने का आह्वान किया और कानूनों में संशोधन की भी बात कही।

भारत का बालश्रम अधिनियम और कानून

भारत सरकार ने बालश्रम की समस्या को हमेशा गंभीरता से लिया है, कड़े कानून भी बनाये गए हैं और ठोस कदम भी उठाये गए हैं। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 23 में खतरनाक उद्योगों में काम कर कहे बच्चों को गैरकानूनी माना गया है, ये अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा 1986 में पारित में बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम का हिस्सा है। ये अधिनियम बालश्रम तकनीकी सलाहकार समिति का नियोक्ता भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बालश्रम पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गयी है और इसका अनुपालन पूरी तरह ही इसकी जिम्मेदारी श्रम विभाग और भारत के सभी नागरिकों पर बराबरी से डाली गयी है। बालश्रम राज्य और केंद्र के लिए आवश्यक विषय है एवं हर पंचवर्षीय योजना में इस पर हमेशा विशेष ध्यान दिया गया है।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

बाल श्रम निरोधी पहला कानून सन् 1986 में आया था। हाल ही में सन् 2016 में इस कानून में सुधार किया गया, बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 में संशोंधन करके उसे नया नाम दिया गया। ये नया नाम था बालश्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016, इस कानून में बाल श्रम को 21वीं सदी के मानकों के आधार पर परिमार्जित किया गया है।

बाल श्रम कानून कहता है कि अगर 14 से 18 की उम्र वालों से काम लिया जाए और इस काम की समय सीमा तय न हो, रोस्टर और हाजिरी रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाए अथवा स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मानकों का उल्लंघन हो तो, रोजगार प्रदान करने वाले को एक माह तक का कारावास, 10 से लेकर 20,000 रूपये तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। First Time Offenders को रियायत दी गयी है, उन्हें सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ा जा सकता है।

मगर Second Time Offenders के लिए ये नियम काफी सख्त हैं, इस स्थिति में नियोक्ता को एक साल से लेकर तीन साल तक की कैद हो सकती है। अपराधियों को पकड़ने के लिए श्रम विभाग की टीम कारखानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर बिना किसी नोटिस के छापे मार सकती है और सारी चीज चेक भी कर सकती है। यदि कोई भी नियोक्ता चौदह से अठारह वर्ष के बीच के बच्चों को काम पर रखता है तो ये सारी कागजी कारवाई हमेशा पूरी रहनी चाहिए।

बाल श्रम कानून ये नहीं कहता कि आप बच्चों से बिलकुल काम ना करवाए। अनुच्छेद 23 के अ न्दर आने बाले उद्योगों को छाड़कर कई ऐसी जगहे भी है जहाँ बच्चे पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई बच्चा अपने पुश्तैनी व्यापार में अपने परिवार के साथ काम करता है तो इसे बाल श्रम की परिभाषा में नहीं गिना जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में कोई भी बच्चा अपने परिवार के पुश्तेनी काम में पूरी तरह से काम कर सकता है मगर इस स्थिति में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस काम से उसके स्कूल का नुक्सान तो नहीं हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बालश्रम की स्थिति एवं पंचायतों की भूमिका

भारत में जब बालश्रम की समस्या का अध्ययन किया जाता है तो पहले जेहन में उभरती है गाँवों की तस्वीर, पिछले कई दशकों में किये गए ज्यादातर शोध ये दावा करते हैं कि भारत में 80 प्रतिशत बालश्रम ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ये वो इलाके हैं जहाँ स्वयं सहायता समूहों और एन जी ओ की पहुँच भी काफी कम है। सबसे बड़ी बात ये है कि बालश्रम को वहां पर श्रम संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। कई शिक्षाविदो का मानना है कि गाँव में पल्लवित हो रहे टैलेंटेड बच्चे इस बालश्रम की बलि चढ़ जाते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें दुनिया की असली समझ बूझ आती है, तब काफी देर हो चुकी होती है।

इस स्थिति में कई विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि भारत में लगभग 80 प्रतिशत बालश्रम ग्रामीण क्षेत्रों प्रचलित है इसलिए स्थानीय पंचायत बालश्रम का निर्मूलन कम करने में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। इस कार्य के लिए श्रम विभाग एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिशानिर्दश भी जारी जारी किये गए हैं। इन दिशानिर्दश के अनुसार निम्नांकित बिन्दुओं पर काम किया जाता है।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

- बालश्रम किस तरह विकास की रह में बाधक है, इसके दुष्परिणाम क्या है इन विषयों के बारे में जागरुकता पैदा करना।
- माता–पिता बच्चों को स्कूल भेजे इस प्रकार के प्रोत्साहन गाँव में पैदा करना और लगातार ये निर्धारित करना कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
- सरकारी एवं गैरसरकारी माध्यमों से उन परिवारों की मदद करना जो आर्थिक दबावों की वजह से बच्चों से बालश्रम करवा रहे हैं।
- गाँव में अच्छे एवं स्तरीय स्कूल की व्यवस्था करवाना साथ ही ये निर्धारित करना की अन्त्योदय योजना के अंतर्गत वहां बच्चे पहुँच रहे हैं।
- बालश्रम कानून, इसमें जुड़ी सजा और बाकी प्रावधानों का प्रचार करके लोगों को बालश्रम से जुड़ी हर बात से अवगत करवाना।
- गाँव में आंगनवाड़ी और बालवाड़ी की समुचित व्यवस्था करना ताकि कामकाजी महिलाये छोटे बच्चों को काम पर लेकर ना जाये। पाया गया है कि अक्सर करके बालश्रम की शुरूआत यही से होती है।
- ग्राम शिक्षा समितियों का गठन करना और उनका दायरा बढ़ाना ताकि वो समाज में सीधी भीगीदारी निभा सके।

समस्या से जुड़े हुए Stakeholders एकीकरण (Interation)

बालश्रम का निर्मूलन एक स्टैंडअलोन समस्या की तरह नहीं किया जा सकता। इसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि कोई भी संस्था इसके मूल कारण को नहीं पहचान लेती। कई स्वयं सेवक समूह इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, ये समूह पहले एक केस स्टडी की तरह परिवार का अध्ययन करते हैं, उसके बाद संबधित विभागों की सूची बनाकर उन योजनाओं को खोजते हैं जो इस तरह के परिवारों की मदद कर सकें। आखिर में एक इंटरवेंशन प्लान बनाया जाता है और बालश्रम की रोकथाम की जाती है।

ऐसा करने के लिए आवश्यकता है एक एकीकृत दृष्टिकोण की जो बालश्रम औश्र शोषण के अन्य रूपों को एकीकृत रूप में देखे और बाल संरक्षण प्रणालियों की पहुँच में ले आये। गरीबी और असमानता को संबोधित करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता और दूर–दराज इलाकों में इसकी पहुँच भी एक मुख्य मुद्दा है जिससे इन स्वयं सेवकों और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गए पदाधिकारियों को दो चार होना पड़ता है। माना जाता है कि एकीकृत दृष्टिकोण की अनुपस्थिति में बालश्रम के विरुद्ध उठाये गए कदम या तो रास्ता भटक जाते हैं या फिर असफल हो जाते हैं क्योंकि गरीबी, अशिक्षा और आधुनिक सोच का अभाव आड़े आ जाता है।

कहते हैं बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, ये तो वो टिमटिमाते तारे हैं जिन्हें भगवान जमीन पर इसलिए भेजते हैं ताकि संसार में सत्य, मासूमियत और आनंद बचा रहे। अब ये फैसला हमें और आपको करना है कि भारत में हम बच्चों को देखकर कहेंगे तारे जमीन पर या फिर बालश्रम का बोझ ढोते इन चेहरों को देखकर हमारे मूंह से बेसाख्ता ही निकल जाएगा, बेचारे जमीन पर।

Saarth
E-Journal of Research

ISSN NO: 2395-339X

References

कुमारी, श. बाल अपराध का साम्ज्शात्रिया परिपेक्ष्य एवं उभरती प्रवत्तिया . *कोटा विश्वविद्यालय* , https://www.uok.ac.in/notifications/Sociological_perspective_of_juvenile_delinquency_and_its_emerging_trends.pdf.

सिंह, प. विश्व बाल श्रम निषेध दिवस : बाल मजूदरी के अभिशाप से कब मुक्त होगी दुनिया . *न्यूज नेशन* , https://www.newsnationtv.com/specials/news/world-day-against-child-labour-when-will-the-world-be-free-from-the-curse-of-child-labor-282948.html.